भारतीय कृषि सांख्यिकी संसद

(हिन्दी परिशिष्ट)

खंड १८] जून १९६६ [अंक १

अनुक्रमणिका

पृ० सं०

१. भारतीय कृषि सांख्यिकी संसद के १९वें वार्षिक सम्मेलन में जो कि ३० दिसम्बर १९६५ को कटक में हुआ, के उद्घाटन समारोह में प्रधान श्री सी० सुब्रामन्यम द्वारा भाषण— iii

अनुवादक—बी० बी० पी० एस० गोयल

भारतीय कृषि साँख्यिकी संसद के १९वे वार्षिक सम्मेलन में जो कि ३० दिसम्बर १९६५ को कटक में हुआ, के उद्घाटन समारोह में प्रधान श्री सी० सुब्रामन्यम द्वारा भाषण—

मित्रो, भारतीय कृषि साँख्यिकी संसद् के प्रधान के रूप में इस से नाता जोड़ते हुए मुझे अत्यन्त प्रसन्नता होती है। मुझे प्रसन्नता है कि मैं संसद के १९वें वार्षिक सम्मेलन में उपस्थित हुआ हूँ। हमारे कृषि विकास में कृषि साँख्यिकों को एक महत्वपूर्ण योग-दान देना है और इस अवसर पर मैं उन महत्वपूर्ण साँख्यिकीय कार्यों की चर्चा करूँगा जो कि हमें तुरन्त पूरे करने हैं।

जब कि चौथी पंचवर्षीय योजना में कृषि विकास को विशिष्ट प्राथमिकता देने पर जोर दिया गया है, पर कृषि में आत्मनिर्भरता को वर्तमान आपत्तिकालीन स्थिति ने और भी महत्वपूर्ण बना दिया है। हमारी समस्त कृषि सम्बन्धी नीति तथा कृषि के लिए चौथी पंचवर्षीय योजना को इस लक्ष्य की ओर प्रस्तावित करना है। इस उद्देश्य की शीघ्र पूर्ति के लिए उपयुक्त तकनीकी तथा संस्थात्मक आदानों को गतिशील करना है तथा इनका विस्तार इस प्रकार करना पड़ेगा जिससे कि अधिकतम लाभ मिले। यदि हम चाहते हैं कि इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमारी योजना विस्तृत और व्यापक हो, तो यह तकनीकी तथा आर्थिक जानकारी पर निर्भर होनी चाहिए। मूल्यों, अनुपूर्ति, अधिप्राप्ति इत्यादि के बारे में योजना के उपयुक्त कार्यरूप की ओर निर्देशित तथा विभिन्न कार्यक्रमों में संशोधन करने के लिए अनापेक्षित स्थितियाँ तथा कारकों के प्रभाव के शीघ्र प्रतिवादन में एक उपयुक्त कृषिनीति भी आवश्यक है। संक्षेप में योजना बनाने तथा नीति निर्धारण के लिए आँकड़ों की उतनी ही आवश्यकता है जितनी कि कृषि उत्पादन में भौतिक आदानों की। विशेषकर नीति निर्धारण के लिए इन आँकड़ों को यथार्थ तथा समयानुकूल होना चाहिए। मेरे लिए यह संभव नहीं है कि मैं अपनी बातचीत में उन सभी प्रकार के आँकड़ों का उल्लेख कर सकूँ जिनकी कि हमें इस युगल उद्देश्य के लिए आवश्यकता है, परन्तु मैं अपने आपको कुछ विषयों की चर्चा तक ही सीमित रखूँगा उदाहरणतया कुछ महत्वपूर्ण विषय जैसे भूमि तथा इसका उपयोग, सिंचाई, कृषि वस्तुओं का उत्पादन तथा व्यापार तथा कृषि उत्पादन में मूल्य के आँकड़े इत्यादि।

भूमि हमारे कृषि साधनों का आधार है और साथ ही इन साधनों में इसका बड़ा अभाव है। स्पष्ट रूप से यथार्थ तथा सामयिक आँकड़े जिनसे हमारी समस्त भूमि एवम् इसके उपयोग का पता चले, अति आवश्यक हैं। फसलें उगाने, वन विस्तार, चरागाहों तथा पशुओं के लिए चारा उगाने के लिए हमारी भूमि के

श्रेष्ठ उपयोग की सम्भावना इस जानकारी पर निर्भर है। यदि हम चाहते हैं कि यह सूचना हमारे कार्यों की आवश्यकताओं के लिए उपयोगी सिद्ध हो तो इसको एक-एक खेत तथा एक-एक गाँव से एकत्रित तथा संकलित करना है। प्रतिदर्श सर्वेक्षण की वैकल्पिक विधि वैसे तो विभिन्न क्षेत्रों में लाभदायक है, परन्तु इससे इस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकती क्योंकि उन विषयों के बारे में जो कि साधारणतया न मिलने वाले हों या जो कि असमान रूप से वितरित हों, के बारे में प्रतिदर्श सर्वेक्षण यथार्थ सामग्री प्रदान नहीं करता तथा छोटे क्षेत्रों के लिए पर्याप्त परिशुद्ध सामग्री बिना अत्यधिक लागत के उपलब्ध नहीं हो सकती। उदाहरणतया मेरे मन में उन क्षेत्रों, जहाँ पर इस समय जुताई नहीं होती है और जो जोतने योग्य हैं, के जुताई आरम्भ करने का प्रश्न है। यद्यपि ऐसा प्रतीत होता है कि हम जोतने योग्य लगभग सभी क्षेत्रों में जुताई कर रहे हैं फिर भी विभिन्न न जोते जाने वाली श्रेणियों में वितरित ८७० लाख एकड़ भूमि है जैसे वर्तमान परती भूमि, पुरात परती भूमि, जोतने योग्य व्यर्थ भूमि, वह भूमि जो जुताई के लिए उपलब्ध नहीं है इत्यादि, जो समस्त देश में फैली हुई है। यह जानना आवश्यक है कि इसमें से कितना क्षेत्र वास्तव में उचित धन लगा कर जोतने योग्य बनाया जा सकता है तथा यह केवल इन सब क्षेत्रों के सम्पूर्ण सर्वेक्षण द्वारा ही हो सकता है। ऐसे सर्वेक्षण के लिए एक आंशिक प्रयत्न किया गया था परन्तु इसे २५० एकड़ या इससे अधिक क्षेत्र के जोतने योग्य भूमि के विशाल खंडों का पता लगाने तक सिमित रखा गया। मैं कह समझता हूँ कि प्रारम्भिक रूप से कुछ चुने हुए जिलों में व्यर्थ भूमि के छोटे खण्डों के बारे में भी कुछ सर्वेक्षण किए जा रहे हैं। सिंचित क्षेत्र के आँकड़े, हमारे कृषि विकास से सम्बन्धित, एक अन्य महत्वपूर्ण विषय है। सिंचित क्षेत्र जोते जाने वाले क्षेत्र का २० प्रतिशत या उससे कम है तथा दूर दूर बिखरा हुआ है। इस बारे में भी सिंचाई के विस्तार के तथा कृषि उत्पादन पर इसके प्रभाव के बारे में हम जो उन्नति कर रहे हैं उसको जानने के लिए सिंचित क्षेत्र के आँकड़े प्रदान करने के लिए एक सम्पूर्ण वार्षिक सर्वेक्षण अनिवार्य है।

प्रत्येक ऋतु में विभिन्न फसलों के अंतर्गत क्षेत्र के शुद्ध तथा विस्तार पूर्ण आँकड़े प्राप्त करने के लिये भी हमें एक सम्पूर्ण सर्वेक्षण की आवश्यकता है। एक खेत से दूसरे खेत में जा कर गणना करना न केवल तम्बाकू, पटसन, ईख इत्यादि जिनके अंतर्गत आपेक्षिक कम क्षेत्र है तथा कथित अप्रधान फसलों के लिए विश्वसनीय आँकड़े प्रदान करने के लिये ही नहीं अपितु धान, बाजरे तथा गेहूँ जैसी प्रधान फसलो के लिये भी आवश्यक है। उन फसलों के लिये जिनका वर्णन अन्त में किया गया है पूर्ण गणना द्वारा प्राप्त आँकड़ों को, प्रतिदर्श सर्वेक्षण द्वारा प्राप्त आँकड़ों की अपेक्षा अधिक मान्यता देनी चाहिये क्योंकि यह आँकड़े उत्पादन आँकड़ों का जो कि फसलों के अंतर्गत क्षेत्र तथा प्रति एकड़ उपज के गुणनफल द्वारा व्युत्पन्न किये जाते हैं, का एक अंग है। क्योंकि प्रति एकड़ उपज का पता लगाने के लिये प्रतिदर्श फसल कतरन

सर्वेक्षण अनिवार्य है और वह प्रतिचयन त्रुटि पर आश्रित है। यदि क्षेत्रफल का अनुमान भी प्रतिदर्श सर्वेक्षण द्वारा प्राप्त होने के कारण प्रतिचयन त्रुटि पर आधारित हो तो यह उत्पादन आँकड़ों की प्रतिचयन त्रुटि को विस्तृत कर देगा। यह अत्यधिक महत्व की बात है कि हम अपने कृषि उत्पादन का अनुमान अधिकतम संभव परिशुद्धता से प्राप्त करें क्योंकि सदैव सीमांत अतिरिक्त या कुछ लाख टन की कमी ही हमारे विचाराधीन होती है तथा हमारे उत्पादन आंकड़े ऐसे होने चाहिये जिनसे इन अन्तरों का पता हम विश्वस्त रूप से लगा सकें। मैं यहाँ पर इस बात का उल्लेख करूँगा कि हमारे तीन राज्य केरल, पश्चिमी बंगाल तथा उड़ीसा इस समय फसलों का क्षेत्रफल प्रतिदर्श सर्वेक्षणों द्वारा ज्ञात कर रहे हैं तथा हमने उनको सुझाव दिया है कि यथाशीघ्र वह इसे बदल कर क्षेत्रफल की पूर्ण गणना विधि को अपना लें। मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता होती है कि उड़ीसा राज्य जो हमारे अति उपजाऊ राज्यों में से है, शीघ्र ही पूर्ण गणना विधि को अपनाने के लिये सहमत हो गया है।

फसल कटन सर्वेक्षणों, जिसके द्वारा हम अपने सभी खाद्यन्नों तथा कुछ महत्वपूर्ण व्यापारिक फसलों की प्रति एकड़ उत्पत्ति का अनुमान लगाते हैं, में प्रतिदर्श सर्वेक्षण सिद्धांत भारतवर्ष में राष्ट्रीय स्तर पर प्रयोग किया जाता है जिसके लिये हम भारतीय सांख्यिकों के मार्गदर्शक कार्यों के प्रति आभारी है। इस विधि का विस्तार उन फसलों तथा उन क्षेत्रों तक करना आवश्यक है जिनके लिये अभी इस का प्रयोग नहीं हुआ है। इस समय फसल कटन सर्वेक्षणों से उत्पत्ति सम्बन्धी आंकड़े जिला से नीचे स्तर पर उपलब्ध नहीं हैं जब कि हमारे विकास की इकाई एक विकास खण्ड हैं। यह आवश्यक है कि कृषि प्रगति का यह मूल सूचक कुछ मुख्य फसलों के खंड स्तर पर उपलब्ध होना चाहिये। इस उद्देश्य के लिये एक साध्य विधि की खोज की जा रही है। उचित समय पर औपचारिक कार्य करने के लिए कृषि स्थिति को दृष्टिगत रखना नीति निर्माताओं के लिये फसलों के क्षेत्र तथा उत्पत्ति का पूर्व अनुमान आवश्यक है। इन पूर्व अनुमानों को फसलाधीन क्षेत्र एवम् सम्भावनीय उत्पत्ति दोनों के बारे में फसल स्थिति एवं आशाओं पर पूर्वाषलोकनों पर आधारित किया जा सकता है, जिस प्रकार ऋतुकाल में होने वाली जलवायु अवस्थाओं पर यह यह निर्भर है। देश में फसल पूर्वानुमान की एक पद्धति है परन्तु इन पूर्वानुमानों की विश्वसनीयता एवं सामयिकता को सुधारने के लिये बहुत कार्य किये जाने की आवश्यकता है।

मंडियों में से कृषि पदार्थों के संचलन तथा विभिन्न स्थितियों तथा वर्ष के विभिन्न समय पर उनके मूल्यों के आंकड़े उन कारणों के महत्वपूर्ण सूचक हैं जिनका प्रभाव उपभोक्ताओं तथा अन्य प्रयोग करने वालों के लिये कृषि उत्पादन के सुलभता पूर्ण मिलने पर पड़ता है। बाजारों में कुछ खाद्यानों की आमद तथा भावों के बारे में आँकड़े एकत्रित किये जा रहे हैं। परन्तु विभिन्न क्षेत्रों के लिये उपलक्षक आँकड़े शुद्धता तथा शीघ्रता के साथ प्राप्त करने के लिये बहुत सुधार की आवश्यकता है।

जिन आँकड़ों का उल्लेख मैंने ऊपर किया है उनमें से अधिकतर के लिये ब्रिटिश काल से भी पूर्व से उत्तराधिकारी हमारे पास हैं, भूमि सम्बन्धी सर्वेक्षणों पर आधारित भूमि अभिलेखा के रूप में एक अद्वितीय आला तथा एक ग्रामीण माल-गुजारी अधिकारी जिसे कि देश के विभिन्न भागों में विभिन्न नामों जैसे पटवारी, करनम इत्यादि से पुकारा जाता है। इस साधन से हमें भूमि उपयोग तथा विभिन्न फसलों के अंतर्गत क्षेत्र के वार्षिक आँकड़े मिलते हैं। इसके सामान्य कार्य का एक भाग तथा इसे एक-एक खेत के प्रगणन द्वारा किया जाता है तथा यह विधि समय की परीक्षा में सफल रही है। इन आँकड़ो की परिशुद्धता की आलोचना की गयी है परन्तु इसमें से अधिकतर निराधार सिद्ध हुई है। स्वाधीनता के पश्चात् इस अधि-कारी पर विभिन्न सरकारी विभागों को विस्तृत ग्रामीण आँकड़े प्रदान करने का भार स्थिर रूप से बढ़ाया जा रहा है तथा इस कारणवश यह अपना मूल कार्य संतोष जनक ढंग से करने में असमर्थ रहा हैं। आशा की जाती थी कि पुराने स्थायी बन्दोबस्त वाले क्षेत्रों में जमींदारी के उन्मूलन के साथ इन क्षेत्रों के ग्रामों में इस अधिकारी की स्थापना की जायेगी तथा इससे क्षेत्रफल के और अधिक शुद्ध आँकड़े प्राप्त होंगे। केवल बिहार राज्य ने इस दिशा में कार्य किया है तथा उड़ीसा राज्य करने की योजना बना रहा है। जहाँ भूमि संबन्धी सर्वेक्षण हो चुके हैं तथा जहाँ पर माल-गुजारी अधिकारी विद्यमान हैं उन क्षेत्रों में भी इस विभाग को अन्य सरकारी विभागों की बहुविध माँगों को पूरा करने के लिये समर्थ बनाने के लिये बहुत थोड़ा कार्य किया गया है। देश में ऐसे क्षेत्र कुल क्षेत्र का ८० प्रतिशत हैं। पुराने मूकर मानचित्रों को समयानुकूल बनाने के लिये ग्रामीण मालगुजारी अधिकारियों की संख्या इस प्रकार बढ़ाई जाने के लिये जिससे कि उनके अधीन क्षेत्र प्रबन्ध योग्य हो जाये पर्यवेक्षण अधिकारियों की संख्या बढ़ाने तथा पर्यवेक्षण विधि में सुधार लाने तथा आँकड़ों के अतिशीघ्र तैयार करने के लिये समय-समय पर सिफारिशें की गयी हैं। राज्यों द्वारा इस सम्बन्ध में धनाभाव के कारण अधिक कार्य नहीं किया गया है। किसी तदर्थ प्रबन्ध के सोचने के बजाय ग्रामीण मालगुजारी विभाग को पर्याप्त रूप से सुदृढ़ बनाना है जिससे कि यह कृषि आँकड़ों के बारे में अपना उत्तरदायित्व निभा सके। इसी प्रकार वास्तविक रूप में बचत हो सकेगी। कृषि आँकड़ों के लिये विशेष कार्यकर्त्ताओं को नौकर रखना इतना महंगा पड़ता है कि उसको कार्यरूप नहीं दिया जा सकता जबकि ग्राम सेवक तथा कृषि सहायकों जैसे विभागों को भी प्रयोग में लाना स्वीकार नहीं किया जा सकता चूँकि ऐसा करने से उनके विकास सम्बन्धी कार्यों में भयानक बाधा उत्पन्न होगी। इसके अतिरिक्त उनके पास कृषि सम्बन्धी आँकड़े एकत्रित करने के लिये कुशलता और सुविधायें नहीं हैं। इस प्रकार उन्हें सहायता के लिये ग्रामीण मालगुजारी अधिकारियों पर आश्रित होना पड़ेगा। इसका अर्थ होगा प्रयत्नों का अनावश्यक द्विरूपकरण। कृषि विभाग, जो कि मूल रूप से कृषि आंकड़ों से सम्बन्धित होना चाहिये, को प्राथमिक सूचना साधन द्वारा निवेदित

आंकड़ों के आधार पर राज्य के लिये आंकड़े संकलित करने की जिम्मेदारी देकर तथा मूल सूचना साधन के साथ किसी उपयोगी ढंग के सहयोग से क्षेत्रीय कार्य की देखभाल में भाग लेने से इस कार्य में लगाया जा सकता है।

इन कृषि आंकड़ों के संकलन तथा प्रकाशन की वर्त्तमान विधियों में एक भयानक त्रुटि यह है कि इस कार्य में इतना विलम्ब हो जाता है कि वर्तमान नीति निर्धारण के लिये इनका बहुत कम लाभ हो सकता है। फसलो के पूर्वानुमानों के प्रकाशन में भी निर्धारित समय सारिणी के अनुसार चलने की पुरानी रीति पर भी अनुकरण नहीं हो रहा और अधिकतर पूर्वानुमान काफी देर से प्रकाशित किये जाते हैं। यदि कृषि सम्बन्धी अपनी योजनाओं तथा नीति बनाने के काम को युद्ध तथा सामयिक सूचना पर आधारित करना है तो इस स्थिति में सुधार लाने की आवश्यकता है। मशीन द्वारा सारणीकरण तथा इलैक्ट्रौनिक संगणक के आधुनिक युग में संकलन में देरी के लिये कोई कारण नहीं होना चाहिये। यदि प्रधान कार्यालय में संगणन के लिये योग्य कर्मचारी हों तथा उचित समय पर सूचना प्रदान करने के लिये पर्याप्त क्षेत्रीय कार्यकर्त्ता हों तो इस सारे कार्य को इस प्रकार दोष रहित करना साध्य होना चाहिये जिससे कि सामयिक तथा विश्वसनीय आँकड़ों का स्थायी बहाव बनाया रखा जा सके। यहां पर एकत्रित हुए कृषि सांख्यिकों से मैं कहुँगा कि इस कार्य के लिये वह गम्भीरतापूर्वक विचार करें तथा अपने-अपने राज्यों में तथा केन्द्रीय सरकार में इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये उपयुक्त विधियों की खोज करें।

देश की कृषि नीति बनाने में गहरे योग के कारण केन्द्रीय सरकार ने इस कार्य के लिये उदार सहायता पेश की है और मैं राज्यों को इस सहायता से पूरा लाभ उठाने के लिये निमन्त्रित करता हूँ। हम भाग्यशाली है कि इसके लिये हमारे पास आवश्यक रूप रेखा है तथा हमारी कृषि सम्बन्धी योजनाओं की आवश्यकताओं के अनुसार हमारी सांख्यिकी पद्धति का उपस्कर करना अपेक्षाकृत सुगम होना चाहिये। ऐसा इसकी दक्षता सुधार कर किया जा जा सकता है। यह हमारे कृषि सांख्यिकों के लिये एक चुनौती है। मेरा विश्वास है कि वह इस चुनौती का सामना कर सकेंगे।